Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में जिला कारागृह का कारापाल (जेलर) 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा देहात इकाई द्वारा आज मंगलवार को झालावाड़ में कार्यवाही करते हुये करण सिंह कारापाल (जेलर), जिला कारागृह, झालावाड़ को परिवादी से 1 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जिला कारागृह में बन्दी को परेशान नहीं करने एवं सुविधाऐं देने की एवज में करण सिंह कारापाल (जेलर), जिला कारागृह, झालावाड़ द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा देहात के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती डॉ. प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री विजय सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा झालावाड़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुये करण सिंह पुत्र श्री नंद सिंह निवासी मकान नं0 13, मिलाट नगर, देवली अरब रोड़, संतोष होटल के सामने, बोरखेड़ा, कोटा हाल कारापाल, जिला कारागृह, झालावाड़ को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।